कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन भू–तल भोपाल

क्रमॉक/संरक्षण/कक्ष–2/ /भोपाल:दिनांक

प्रति.

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)

समस्त वन मण्डलाधिकारी,

मध्यप्रदेश ।

विषय :– वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिये भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 66 के अन्तर्गत कार्यवाही करना ।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमॉक/कक्ष–2/1255 दिनांक 25–7–2003

कृपया संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से आप लोगों को निर्देशित किया गया था कि वन भूमि के अतिक्रमण हटाने के लिये अधिनियम की धारा 80 'अ' में दिये गये प्रावधान के अनुसार ही कार्यवाही की जाय । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है धारा 80'अ' के अन्तर्गत ऐसे प्रकरणों में ही कार्यवाही किया जाना है जहॉ वन भूमि पर किसी व्यक्ति व्दारा अनाधिकृत कब्जा प्रमाणित हो चुका हो एवं कुछ समय से वह उस भूमि पर काबिज हो । किन्तु ऐसे प्रकरणों में जहॉ किसी व्यक्ति व्दारा अधिनियम की धारा 26 'ज' या 30 'ग' के अन्तर्गत वन भूमि पर खेती या किसी अन्य उद्देश्य से उसकी सफाई करने की कोशिश की जाती है तो ऐसे अपराधों को रोकने के लिये वन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत अधिकृत किया गया है । ऐसे परिस्थितियों में धारा 80 'अ' के अनुसार कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है एवं आप लोगों के व्दारा सीधे हस्तक्षेप करते हुये अपराध को घटित होने से रोकने की कार्यवाही की जा सकती है ।

कृपया वन भूमि पर अतिक्रमण एवं अन्य अपराधों को रोकने के लिये धारा 66 के अन्तर्गत युक्तियुक्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

मध्यप्रदेश